हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घण्टा पश्चात विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. <u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना</u>।

अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने आज 20 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे प्रात: हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की थी तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे।

II. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:-

1. श्री अजीत पवार, उप-मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र;
2. श्री सुरेन्द्र कुमार मदान, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा;
3. श्री आनंद कौशिक, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
4. हरियाणा के शहीद;
5. अन्य;

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

III. <u>कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट</u>।

(i)	अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii)	समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. <u>'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र</u>।

1.	एक मंत्री	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 मार्च, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 मार्च, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 मार्च, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 अप्रैल, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।

6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
11.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
12.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
13.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी.-2, दिनांकित 17 सितम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।

19.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
20.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी-2, दिनांकित 25 नवम्बर, 2025 मेज पर पुन: रखेंगे।
21.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर रखेंगे।
22.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर रखेंगे।
23.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जनवरी, 2026 मेज पर रखेंगे।
24.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2024-2025 के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
25.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1996-1997 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
26.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1997-1998 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
27.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1998-1999 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
28.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1999-2000 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
29.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2000-2001 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
30.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2002-2003 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
31.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2003-2004 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

32.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2004-2005 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
33.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2005-2006 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
34.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2006-2007 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
35.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2007-2008 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
36.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2008-2009 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
37.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2009-2010 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
38.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2010-2011 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
39.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2011-2012 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
40.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2012-2013 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
41.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2013-2014 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
42.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2014-2015 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
43.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015-2016 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

44.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2016-2017 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
45.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणहिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
46.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
47.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
48.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
49.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
50.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 1997-1998 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
51.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की 2025 की रिपोर्ट संख्या-3 (अनुपालन लेखा-सिविल, राजस्व तथा वाणिज्यिक) पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।

V. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

(i) **श्री अनिल यादव, एम.एल.ए., कोसली द्वारा श्री उमेश, सहायक अभियंता, उप- मण्डल, पाल्हावास, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के विरुद्ध दिनांक 5 जुलाई, 2025 को दी गई शिकायत जिसमे फ़ोन कॉल का जवाब न देने, दुर्व्यवहार तथा कर्तव्यों में लापरवाही का आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्री अनिल यादव, एम.एल.ए., कोसली द्वारा श्री उमेश, सहायक अभियंता, उप- मण्डल, पाल्हावास, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के विरुद्ध दिनांक 5 जुलाई, 2025 को दी गई शिकायत जिसमे फ़ोन कॉल का जवाब न देने, दुर्व्यवहार तथा कर्तव्यों में लापरवाही का आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ii) **श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए., थानेसर द्वारा दिनांक 3 जून, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।**

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए., थानेसर द्वारा श्री नरेंद्र शर्मा पति श्रीमती प्रवीन शर्मा, वार्ड न. 2, श्री सतीश मदान पति श्रीमती निशा मदान, वार्ड न. 7 तथा श्री सुरेश कुमार पति श्रीमती बख्शीश कौर, वार्ड न. 14, नगर परिषद् थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र तथा श्री राजेश कुमार, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् थानेसर के विरुद्ध दिनांक 3 जून, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का तीसरा प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय वर्तमान सत्र की अंतिम बैठक तक बढ़ाया जाए।

(iii) **श्री अर्जुन सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।**

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्री अर्जुन सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना द्वारा उठाए गए अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

(iv) **श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध लाए गए संकल्प/प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिसे सदन ने 22 दिसम्बर, 2025 को पारित किया था तथा मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजना।**

विशेषाधिकार समिति के चेयरपर्सनः	श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा श्री इन्दुराज सिंह नरवाल, एम.एल.ए. के विरुद्ध लाए गए संकल्प/प्रस्ताव के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसे सदन ने 22 दिसम्बर, 2025 को स्वीकार किया था तथा मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।
यह भी	प्रस्ताव करेंगे कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

VI. सरकारी संकल्प

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- "चूंकि, हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 (1971 का 20) के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड, हरियाणा राज्य में आवासों और सम्बन्धित शहरी अवसंरचना के निर्माण में लगा हुआ है। समय के साथ, इसके प्रचालित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है, के कृत्यों के साथ परस्परव्यापी हो गए है।

और चूंकि, प्रशासकीय प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने, शहरी योजना एकीकरण में सुधार और सेवा परिदान में वृद्धि करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड, हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 13) के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की है;

और चूंकि, मुख्य मंत्री, हरियाणा ने मंत्री परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का 20) के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड, हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का 20) की धारा 80 की उप-धारा (1) के परन्तुक में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, आवासन बोर्ड, हरियाणा को भंग करने का संकल्प पारित करती है।"

चण्डीगढ़: राजीव प्रसाद,
19 फरवरी, 2026. सचिव।